




परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)



AEES/4(6)/VIG/2024/C- 544

24 June, 2024

परिपत्र/Circular

विषय: शिक्षकों के लिए प.ऊ.शि.सं. आचरण नियम 2024
Subject: **AEES Conduct Rules for teachers 2024**

गवर्निंग काउंसिल ने 18.04.2024 को आयोजित अपनी 203वीं बैठक में शिक्षकों के लिए प.ऊ.शि.सं. आचरण नियम-2024 को अद्यतन करने की मंजूरी दे दी। तदनुसार, अद्यतन" शिक्षकों के लिए प.ऊ.शि.सं. आचरण नियम 2024" इसके साथ संलग्न है।

Governing Council in its 203rd meeting held on 18.04.2024 accorded approval to update AEES conduct rules for teachers-2024. Accordingly, an updated "AEES Conduct Rules for teachers 2024" is enclosed herewith.

2. सभी प.ऊ.के.वि./क.म. के सभी प्रमुखों से अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त" शिक्षकों के लिए प.ऊ.शि.सं. आचरण नियम 2024" की एक प्रति उनके अधीन स्थित शिक्षक कर्मचारियों को हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, और इसके साथ संलग्न प्रारूप में उनकी दिनांकित पावती प्राप्त करें। शिक्षक की व्यक्तिगत फाइल में स्वीकृति की प्रति को रखा जाएगा और रिकॉर्ड के लिए प.ऊ.शि.सं., मुंबई के सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती और सतर्कता) को एक अन्य प्रति भेजी जाए।

All Heads of AECSs/JC are requested to hand over a copy of the said "AEES Conduct Rules for teachers 2024" to teaching staff under their control and obtain their dated acknowledgement in the format enclosed herewith. A copy of the acknowledgement shall be kept in the personal file of the teacher concerned and another copy to be forwarded to Assistant Administrative Officer (Recruitment and Vigilance), AEES, Mumbai for record.

संलग्न/Encl : उपरोक्त/as above.

Shanta Kar Lohia
24/06/2024
(एस. के. लाहिड़ी/ S. K. Lahiri)
सचिव/Secretary

प.ऊ.के.वि./क.म. के सभी प्रमुख/ All Heads of AECSs/JC

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
शिक्षक आचरण नियम-2024
CONDUCT RULES FOR TEACHERS-2024

वह व्यक्ति जो अध्यापन को एक व्यवसाय के रूप में चुनता है, अपने कार्य तथा व्यवहार में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अपने आचरण को हर समय शिक्षण व्यवसाय के उच्चतम मानकों के स्तर का रखता है तथा वह अपने विद्यार्थियों, उनके माता-पिता तथा सह-कर्मियों के सम्मुख एक आदर्श / उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा उनका आदर प्राप्त करता है।

A person who chooses teaching as a career, assumes the obligation to conduct themselves at all times in accordance with the highest standards of the teaching profession, aiming at quality and excellence in their work and conduct, setting an example which will command the respect of the pupils, the parents and their colleagues.

शिक्षण अपने सही अर्थों में मात्र हिदायत नहीं है अपितु प्रभाव है। शिक्षक का कार्य मात्र विशिष्ट विषय की शिक्षा देना नहीं है बल्कि अपने विद्यार्थियों को उनके उच्चतम स्तर तक विकास करने उनमें उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास करने, उनके व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास में सहायता करना है।

Teaching, in its true sense, is not mere instruction but influence. The teacher's duty is not merely to communicate knowledge in specific subjects but also to help children grow to their fullest stature, develop suitable attitudes and unfold their personality. In this responsible task what matters most is the personal example of the teacher.

सी.सी.एस. (आचरण) नियम 1964 के प्रावधान परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सभी कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित आचार संहिता भी शिक्षकों पर लागू होगी। इनका उल्लंघन करने पर कर्मचारी सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

The provisions of the C.C.S. (Conduct) Rules 1964 shall apply mutatis mutandis to all the employees of the Atomic Energy Education Society. In addition to this, the following code of conduct shall also be applicable to teachers. Violation of these shall make an employee liable for action under the CCS (CCA) Rules, 1965.

1. प्रत्येक शिक्षक उपदेश तथा उदाहरण द्वारा, विद्यार्थियों के मस्तिष्क में मातृ-भूमि के प्रति प्रेम तथा सम्मान की भावना पैदा करेगा।
Every teacher shall, by precept and example, instill in the minds of the pupils, entrusted to their care, love for the motherland.
2. प्रत्येक शिक्षक शिक्षा तथा उदाहरण द्वारा छात्रों के मन में कानून तथा व्यवस्था के सम्मान की भावना पैदा करेगा।
Every teacher shall, by precept and example, inculcate in the minds of their pupils respect for law and order.
3. प्रत्येक शिक्षक इस तरह की सभी विद्यालयी गतिविधियों को आयोजित तथा प्रोत्साहित करेगा जो कि छात्रों में वैश्विक भाईचारे की भावना का संचार करे।
Every teacher shall organize and promote all school activities which foster a feeling of universal brotherhood among the pupils.

4. प्रत्येक शिक्षक उपदेश तथा उदाहरण द्वारा उनमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देगा ।
Every teacher shall, by precept and example, promote tolerance for all religions among their pupils.
5. कोई भी शिक्षक किसी भी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही उनकी गतिविधियाँ में प्रकट अथवा गुप्त तरीके से हिस्सा लेगा। वह किसी ऐसे राजनैतिक दल अथवा संगठन से कोई संबंध नहीं रखेगा जो कि अपनी गतिविधियों से प.ऊ.शि.सं. द्वारा उसके लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने का दोषी ठहराया गया है ।
No teacher shall be a member of any political party or carry on activities either openly or in camera in support of any such party. They shall also not have any association with either any political party or any organization which has been declared by the Atomic Energy Education Society to be carrying out its activities against the aims, objects and functions of the Atomic Energy Education Society.
6. शिक्षक को इस बात के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए कि उसके विद्यार्थी किन्हीं राजनैतिक गतिविधियों में सक्रीय रूप से भाग न लें ।
The teacher shall always be on the alert to see that their pupils also do not take active part in politics.
7. कोई भी शिक्षक राज्य अथवा केन्द्र की विधायिका का सदस्य नहीं बनेगा । वह चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे देगा ।
No teacher shall be a member of the state or Central Legislature. They shall resign their job before standing for election as a candidate.
8. प्रत्येक शिक्षक को आधुनिक समाज में होने वाली प्रत्येक बुराई, असामाजिक रीति-रीवाजों तथा गतिविधियों के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए तथा छात्रों को सहयोग तथा सामाजिक सेवा के सिद्धांत की शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए ।
Every teacher must take their stand against the unhealthy and unsocial customs and practices in modern society and must strive their best to instill in the minds of their pupils the principles of co-operation and social service.
9. प्रत्येक शिक्षक उन सभी गतिविधियों में अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करेगा तथा उनका सहयोग प्राप्त करेगा जिनका उद्देश्य छात्रों का नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास करना है ।
Every teacher shall co-operate with and secure the co-operation of other persons in all activities which aim at the improvement of the moral, mental and physical well-being of pupils.
10. प्रत्येक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के संबंध में स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रहना चाहिए । उसमें पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति सहृदय तथा मददगार रहना चाहिए ।
Every teacher must be strictly impartial in their relations with all their pupils. They should be sympathetic and helpful particularly to the slow learners.

11. प्रत्येक शिक्षक को अपने सम्पूर्ण जीवन में सीखते रहना चाहिए न केवल स्वयं के जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए बल्कि उनके लिए भी जो उसकी अभिरक्षा में हैं।
Every teacher must be a learner throughout their life not only to enrich their own life, but also of those who are placed in their care. They should plan out their work on approved lines and do it methodically, eschewing vigilantly, all extraneous activities.
12. प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की विलक्षण प्रतिभा के योग्य समझना चाहिए तथा समाज में उसे उचित सम्मान दिलाने के लिए योग्य बनाना चाहिए तथा उसे क्रियात्मक तथा सहयोगी बनाना चाहिए।
Every teacher must regard each individual pupil as capable of unique development and of taking their due place in the society, and help them to be creative as well as co-operative.
13. प्रत्येक शिक्षक को उसके व्यवहार में संयत तथा सरल रहना चाहिए। उसे छात्रों के सम्मुख तथा विद्यालय परिसर में धूम्रपान, सुपारी चबाना तथा अन्य बुरी आदतों से परहेज करना चाहिए।
Every teacher should be temperate and sober in their habits. They should scrupulously avoid smoking, chewing of betel leaves and such other undesirable habits in the presence of students and within the precincts of the school.
14. प्रत्येक शिक्षक को एक अनुकरणीय नैतिक चरित्र का होना चाहिए। विद्यालय के भीतर तथा बाहर अन्य लिंग वाले व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो उसके चरित्र या विद्यालय की गरिमा के प्रतिकूल हो।
Every teacher should have an exemplary moral character. Their dealings with the members of the other sex in the school or outside it, should not be such as would cause reflection on their character or bring discredit to the school.
15. प्रत्येक शिक्षक को अपनी वृत्ति पर गर्व होना चाहिए तथा उसे इस व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाना चाहिए।
Every teacher should take pride in their calling and try to promote the dignity and solidarity of their profession.
16. प्रत्येक शिक्षक को विचारों की स्वतंत्रता तथा उनके प्रकटीकरण के साथ ही साथ उसे स्वयं तथा छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति के विकास का भी पक्षकार होना चाहिए।
Every teacher must be an advocate of freedom of thought and expression, and the development of scientific temper in themselves and their students.
17. किसी भी शिक्षक को परीक्षा तथा विद्यालय से संबंधित अन्य गलत कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तथा न ही इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।
No teacher shall indulge in or encourage any form of malpractice connected with examinations or other school activities.
18. किसी भी शिक्षक को संस्था तथा विभाग से संबंधित गोपनीय बातों का प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए।
Confidential matters relating to the Institution and the Department shall not be divulged by any teacher.

19. किसी भी शिक्षक को निजी शिक्षण, व्यवसाय तथा अन्य किसी तरह के कामधंधों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए । यदि कोई शिक्षक इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो वह सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम 1965 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र होगा जो कि परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के कर्मचारियों पर लागू है।

No teacher shall undertake private tuition or private employment or otherwise engage themselves in any business. Any teacher violating these instructions will be liable to disciplinary action under the C.C.S. (C.C.A.) Rules 1965, as extended to the employees of the Atomic Energy Education Society.

20. कार्य के समय प्रत्येक शिक्षक को साफ-सुथरा रहना चाहिए तथा उसे अनौपचारिकता से परहेज करना चाहिए । उसके वस्त्र साफ तथा गरिमामय रहने चाहिए । शिक्षक को किसी भी स्थिति में ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे कि वह विद्यार्थियों तथा सह-कर्मियों के बीच हँसी का पात्र बन जाए ।

Every teacher should be clean and trim, not casual and informal while on duty. Their dress should be neat and dignified. They should, on no account be dressed so as to become an object of excitement or ridicule or pity at the hands of the students and their colleagues.

21. प्रत्येक शिक्षक को हाजरी, कक्षा कार्य तथा प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए उसके संबंधित अन्य कार्यों के प्रति समयनिष्ठ रहना चाहिए । उसे यह आभास रहना चाहिए कि वह समूह का सदस्य है तथा उसे विद्यालय में सामुहिक जीवन के विकास में मदद करनी चाहिए ।

Every teacher should be punctual in attendance, in respect of their class work as also for any other work connected with the duties assigned to them by the Principal. They should realize that they are a member of the team and should help in developing a corporate life in the school.

22. प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय के नियमों तथा अधिनियमों के अधीन रहना चाहिए तथा उसे नियुक्त प्राधिकारी को उचित सम्मान देना चाहिए तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए निर्देशों का कर्मनिष्ठ होकर पालन करना चाहिए ।

Every teacher should abide by the rules and regulations of the school and show due respect to the constituted authority, diligently carrying out instructions issued to them by the superior authority.

23. प्रत्येक शिक्षक को छात्रों तथा उनके माता-पिता से वित्तीय/मौद्रिक सौदों से बचना चाहिए तथा अपने निजी मामलों की पूर्ति के लिए विद्यालय के प्रभाव का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। उसे अपने निजी कार्य इस तरह से करने चाहिए कि वह इतना ऋण नहीं ले जिसे चुकाना उसकी क्षमता से परे हो ।

Every teacher shall avoid monetary transactions with the pupils and parents and refrain from exploiting their school influence for personal ends. They shall generally conduct their personal matters in such a manner that they do not incur debt beyond their means to repay.

24. कोई भी शिक्षक परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना न तो किसी पाठ्यपुस्तक, कुंजी आदि का प्रकाशन करेगा तथा न ही इनके लेखन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भागीदारी लेगा ।

No teacher shall prepare or publish any text-book or keys or assist directly or indirectly in their preparation, or use such publications without obtaining prior approval of the Atomic Energy Education Society.

25. कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकाशन फर्म/ट्रेडर के न तो बिक्री एजेंट तथा न ही अनुयायक का कार्य करेगा।

No teacher shall engage themselves as a selling agent or canvasser for any publishing firm/trader.

26. कोई भी शिक्षक परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था से बाहर किसी कार्य अथवा पेशे के लिए सीधे ही आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए अपना आवेदन पत्र निरपवाद रूप से उचित माध्यमों से ही अग्रेषित करवाना होगा।

No teacher shall apply for an assignment or job outside the Atomic Energy Education Society direct. They shall invariably forward their application through proper channels.

27. कोई भी शिक्षक अपनी शिकायतों का प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हों, उचित माध्यम के अतिरिक्त नहीं करेगा तथा न ही वह विद्यालय में उसकी सेवा से संबंधित मामलों में अपने पक्ष में किसी गैर सरकारी अनुयायक या बाहरी प्रभाव का प्रयोग करेगा।

No teacher shall represent their grievances, if any, except through proper channels, nor will they canvass for any non-official or outside influence or support in respect of any matter pertaining to their service in the school.

28. प्रत्येक शिक्षक विद्यालय की सम्पदा तथा निधी का ध्यान रखेगा तथा उनका प्रयोग उसी विवेक तथा समझदारी से करेगा जैसा कि वह अपनी निजी सम्पत्ति के साथ करता है।

Every teacher shall consider school property and funds as if placed in trust with them and shall exercise the same with prudence and care as they would do in respect of their own property or funds.

29. a) कोई भी शिक्षक न तो स्वयं तथा न ही परिवार के सदस्यों या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को छात्र, उसके माता-पिता अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से उपहार लेने की अनुमति देगा जिससे विद्यालय में शिक्षक की हैसियत से संपर्क में आया है।

No teacher shall accept or permit any member of their family or any other person acting on their behalf to accept any gift from any pupil, parent or any person with whom they have come into contact by virtue of their position in the school.

स्पष्टीकरण: उपहार के अंतर्गत या अन्य सेवा अथवा अन्य कोई भी लाभ सम्मिलित मुफ्त परिवहन, ठहरने की व्यवस्था की जाएगी जोकि शिक्षक को उसके निकट संबंधी या निजी मित्रों द्वारा, जिसका शिक्षक से किसी भी प्रकार का कार्यालयी संबंध न हो, उपलब्ध कराया जाए।

Explanation: The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with them.

Note : अनौपचारिक रूप से भोजन अथवा अन्य सामाजिक सत्कार इस तरह के उपहारों में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

A casual meal, lift or other social hospitality of a casual nature shall not be deemed to be a gift.

b) शादी, वर्षगाँठ, अंत्येष्टि या धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर, जब उपहार देना प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथा के अनुरूप होता है, तो एक सरकारी कर्मचारी अपने करीबी रिश्तेदारों या अपने निजी दोस्तों जिनका उसके साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, से उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन यदि ऐसे उपहार का मूल्य निम्नानुसार अधिक हो तो सरकार को रिपोर्ट करेगा-

On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a Government servant may accept gifts from their near relatives or from their personal friends having no official dealings with them, but shall make a report to the Government, if the value of such gift exceeds -

- (i) किसी समूह 'ए' पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पच्चीस हजार रुपये;
rupees twenty five thousand in the case of a Government servant holding any Group 'A' post;
- (ii) किसी समूह 'बी' पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पंद्रह हजार रुपये;
rupees fifteen thousand in the case of a Government servant holding any Group 'B' post;
- (iii) किसी समूह 'सी' पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में सात हजार पांच सौ रुपये।
rupees seven thousand five hundred in the case of a Government servant holding any Group 'C' post.

30. कोई भी शिक्षक परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की पूर्व स्वीकृति के अतिरिक्त न तो आकाशवाणी पर कोई साक्षात्कार देगा तथा न ही अपने नाम, अज्ञात नाम, छद्म नाम अथवा अन्य किसी के नाम से ऐसा कोई कथन छापेगा जिसमें केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी जारी अथवा नई नीति की आलोचना की गई हो अथवा जिससे केंद्र तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र तथा अन्य देशों की सरकारों के मध्य मतभेद पैदा हो ।

No teacher shall, except with the previous sanction of the Atomic Energy Education Society, give any talk on the radio, publish any statement or document either in their own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person, which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government or which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and a state Government or between the Central Government and the Government of any foreign State.

31. कोई भी शिक्षक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न तो अंशदान स्वीकार करेगा तथा न ही वह किसी भी प्रकार के निधि अथवा अन्य किसी प्रकार से रुपए इकट्ठा करने का कार्य करेगा ।

No teacher shall, except with the previous sanction of the competent authority, ask for or accept contribution to, or otherwise associate themselves with the raising of any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object, whatsoever.

32. यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि

It is duty of every teacher:

- i) वह राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करे,
To respect the National Flag and the National Anthem;

ii) वह भारत के सभी लोगों के मध्य सदभावपूर्ण तथा सामान्य भाई चारे का वातावरण बनाने का प्रयत्न करे। इस कार्य में उसे धार्मिक, भाषिक अथवा क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए तथा महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल होने वाले कार्यों को हतोत्साहित करना / रोकना चाहिए,
To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women,

iii) लोगों में वैज्ञानिक प्रकृति, मानवता एवम् जाँच तथा सुधार की भावना पैदा करे,

To develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform,

iv) सामाजिक सम्पत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना,

To safeguard public property and to abjure violence,

(v) व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हांसिल करने का प्रयास करना जिससे कि राष्ट्र का उत्थान हो सके ।

To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

33. यदि कोई शिक्षक विधि न्यायालय द्वारा सिद्धदोष अथवा गिरफ्तार किया जाता है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह तत्काल सिद्धदोष तथा गिरफ्तारी से संबंधित तथ्यों तथा परिस्थितियों की सूचना अपने उच्चाधिकारी को दे। ऐसा न करने की स्थिति में उसे जानबूझकर सूचना छुपाने का दोषी माना जाएगा तथा वह सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 जैसे की प.ऊ.शि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा ।

If a teacher is convicted by a Court of Law or arrested, it will be their duty to inform their immediate superior the fact of their conviction or arrest and the circumstances, connected therewith, as soon as it is possible for them to do so. Failure to do so will be regarded as deliberate suppression of material information and will render them liable to disciplinary action in accordance with the C.C.S. (C.C.A.) Rules, 1965 as extended to the employees of Atomic Energy Education Society.

34. प्रत्येक शिक्षक को हमेशा

Every Teacher shall at all times:

i) पूर्ण ईमानदारी रखनी चाहिए,

Maintain absolute integrity;

ii) कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए,

Maintain devotion to duty;

iii) ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कि प.ऊ.शि.सं. कर्मचारियों के लिए अशोभनीय लगे ।

Do nothing which is unbecoming of an employee of the Atomic Energy Education Society.

35. प्रत्येक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कक्षा में शिक्षण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मोबाइल फोन का उपयोग न करें ।

Every teacher shall ensure that they should not use mobile phones in the class rooms for the purpose other than teaching.

36. कक्षा शिक्षक या शिक्षक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे ।

The class teacher or teachers shall make best efforts to ensure safety and security of the children.
